बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग १--कार्यवाही--प्रश्नोत्तर)

बृहस्पतिवार, तिथि २६ जून, १९६९।

विषय-सूची।

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
अल्प-सूचित प्रश्न संख्या—१५९,१६३ एवं १६४ ..	१—९
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—११०१ से ११०३ तक, ११०६,१११०, ११३४, ११३५, ११४२, ११४९ से ११६३ तक, ११७४, ११७५, ११७७ से ११८८ तक, १२०१ से १२०२, १२०६, १२२४, १२२५, १२२६, १२३४, १२४०, १२४२, १२४४, १२४५ तथा १२९३ से १३१४ तक।	९—६५
वैनिक-निवन्ध	६७—६९

टिप्पणी--जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है।

मकान किराया का बकाया।

११८२। श्री राणा शिवलाखपति सिंह—क्या मंत्री, कृषि (लघु सिंचाई) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सहायक अभियंता, संगठित लघु सिंचाई अनुमंडल, नवादा-१ (गया) ने श्री मानिक चन्द, हरचन्दन ततलाष, नवादा, गया का मकान सरकारी सिमेंट गोदाम के लिए तिथि ३० जनवरी १९६८ को किराया पर लिया है परन्तु आज सवा वर्ष से मकान मालिक को किराया नहीं दिया जा रहा है ;

(२) क्या यह बात सही है कि एस० डी० ओ० नवादा (गया) ने उक्त मकान का ९५ रुपया प्रतिमाह फेयर रेन्ट फिक्स कर अपने पत्र संख्या ८५८, तिथि १४ मार्च १९६९ द्वारा उक्त सहायक अभियंता को सूचित किया है परन्तु फेयर रेन्ट होने के बाद भी मकान मालिक को किराया नहीं दिया जा रहा है ;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मकान मालिक श्री मानिक चन्द को अविलम्ब एस० डी० ओ० द्वारा फेयर रेन्ट फिक्स ९५ रु० प्रतिमाह को दर से ३० जनवरी १९६८ से अप्रील १९६९ तक पन्द्रह महीने का किराया देना चाहती है ?

(मंत्री), कृषि (लघु सिंचाई) विभाग—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) इस संबंध में स्वीकृति देने की कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही भुगतान करने का आदेश दिया जायगा।

राजकीय नलकूप की योजना।

११८३। श्री देवनन्दन प्रसाद—क्या मंत्री, कृषि (लघु सिंचाई) विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के नवादा अनुमंडल के लिए जिला सिंचाई समिति द्वारा स्वीकृत ३७ गांव के लिए राज्य संचालित नलकूप है. जिसकी प्रार्थमिक और प्रशासकीय स्वीकृति भी दी जा चुकी है पर आजतक एक का भी बोरिंग नहीं हुआ है, यदि हां तो सरकार उक्त स्वीकृत योजनाओं को अविलम्ब चालू कराने का विचार रखती है?

मंत्री, कृषि (लघु सिंचाई) विभाग—जिला सिंचाई समिति द्वारा नवादा अनुमंडल में ३५ गांव में नलकूप के लिए सिफारिश की गयी है। इनकी प्रार्थमिक या प्रशासनिक स्वीकृति अभी नहीं हुई है। अतः इसे अविलम्ब चालू करने का प्रश्न नहीं उठता है।